MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

International Multilingual Research Journal

Vidyawarta®

Issue-21, Vol-17 Jan. to March 2018

6th ANNIVERSARY

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

38

श्यामाप्रसाद मुखर्जी और कश्मीर

डॉ. बालूदान बारहठ
सहायक प्रोफेसर,
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर

सारांश

जम्मू–कश्मीर रियासत का विलय, पाकिस्तानी आक्रमण, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव आदि घटनाएँ जनसंघ की स्थापना से पूर्व ही घटित हो चुकी थी, परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के रूप में इनको कश्मीर के बारे में स्पष्ट राय थी कि जम्मू–कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। औपचारिक रूप से पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद भी पार्टी का यही दृष्टिकोण रहा है। कश्मीर को लेकर भारत सरकार की नीति, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव, प्रजा परिषद् आन्दोलन एवं अनुच्छेद ३७० को लेकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी व जनसंघ के दृष्टिकोण पर प्रस्तुत आलेख में प्रकाश डाला गया है।

संकेत शब्द – जम्मू–कश्मीर, अनुच्छेद ३७०, स्वायत्तता, एकीकरण, अलगाव, जनसंघ।

जब जनसंघ की स्थापना हुई, उस समय अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर विषय पर बोलते हुए कहा कि, "कश्मीर के सम्बन्ध में जनसंघ का मत है कि यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र से वापिस ले लेना चाहिए तथा मत संग्रह का कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है।" दिसम्बर, १९५२ में कानपुर में जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें बोलते हुए डॉ. मुखर्जी ने कहा कि, "कश्मीर का पूरा राज्य भारत का अविभाज्य अंग है। आरम्भ में सुरक्षा परिषद् में इस समस्या को ले जाने के कारण कुछ भी रहे हो, गत वर्षों की घटनाएँ यह बताती है कि इस प्रश्न को वहाँ से वापिस ले लेना चाहिए।" डॉ. मुखर्जी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर के बारे में दो ही प्रश्न हमारे सामने है – पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर को शत्रु के हाथों से छुड़ाने के प्रयास तथा दूसरा, भारतीय संविधान के इस राज्य पर लागू होने के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जम्मू तथा कश्मीर का भारत के साथ विलय सच्ची राष्ट्रीय भावना के अनुरूप तथा कश्मीर व पूरी भारत के लिए आवश्यक है। श्यामाप्रसाद ने कहा कि, कश्मीर का मुसलमान भारत के संविधान के अन्तर्गत आने से क्यों घबराता है? हमारा संविधान सबको सुरक्षा का आश्वासन देता है और उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

जम्मू–कश्मीर के पूरे विषय को लेकर प्रजा परिषद् ने जो आन्दोलन छेड़ रखा था, उस सम्बन्ध में डॉ. मुखर्जी ने कहा कि जम्मू की देशभक्त जनता अपना पूर्ण विलय देश के साथ चाहती है, किन्तु भारत सरकार उन्हें प्रतिगामी, देशद्रोही एवं यहाँ तक कि पाकिस्तान का मित्र कह रही है। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर जम्मू क्षेत्र में भयंकर दमन की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि, "मैं नेहरू व अब्दुल्ला से आग्रह करता हूँ कि वे दमन की नीति को छोड़ और झूठी प्रतिष्ठा में न पड़े, उन्हें जम्मू के नेताओं से बातचीत कर समझौते का उचित मार्ग निकालना चाहिए।" संसद के भीतर भी उन्होंने कश्मीर विषय पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। वास्तव में भारतीय जनसंघ के लिए कश्मीर का विषय प्रारम्भ से ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता व अखण्डता से रहा है। इससे पूर्व जम्मू–कश्मीर रियासत के भारत में विलय के प्रश्न पर भारत सरकार की दोगली नीति की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब महाराजा ने बिना शर्त उसी विलय पत्र के आधार पर रियासत का भारत में विलय किया, जिस आधार पर अन्य रियासतों का विलय हुआ है फिर जम्मू–कश्मीर के बारे में बार–बार जनता की राय का प्रश्न कहाँ से पैदा हो रहा है? पण्डित नेहरू शेख अब्दुल्ला व नेशनल कान्फ्रेन्स को ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार

का बहे थे। जब शेख ने भी महाराजा के विलय पत्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी तब फिर इस राज्य की जनता की इच्छा क्यों नहीं माना गया और भविष्य में जनमत संग्रह की शर्त क्यों लगाई गई? डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में जो अनिश्चितता चल रही थी, उसे तुरन्त समाप्त करने की मांग की। उन्होंने जनसंघ, हिन्दू महासभा व रामराज्य परिषद द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन की मांगों को व्यक्त करते हुए कहा कि, "हमारी मांगों में से एक तो यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत में विलय के प्रश्न को समाप्त समझा जाये। यह विलय हो चुका और अब विलय पर आगे चर्चा आदि की आवश्यकता नहीं है।"

भारत सरकार द्वारा कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के विषय पर डॉ. मुखर्जी का कहना था कि यह आत्मघाती गोल के समान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने २५ मार्च १९५३ को संसद में बोलते हुए कहा कि, "हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख पाकिस्तान के आक्रमण की शिकायत लेकर गये थे, विलय के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मूल विलय पीछे रह गया और विलय का निश्चय प्रमुख प्रश्न बन गया। हमें कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र से न्याय की आशा नहीं है। पाकिस्तान द्वारा हड़पे क्षेत्र को सुरक्षा परिषद् वापिस नहीं दिला सकी है। अब कश्मीर में जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय में और अधिक विलम्ब हमारे लिए संकट का कारण हो सकता है।" डॉ. मुखर्जी ने १४ फरवरी, १९५३ को अपने पत्र में नेहरू को सलाह दी कि राज्य की संविधान सभा से विलय की अभिपुष्टि करायें। इसके कारण हमें संयुक्त राष्ट्र संघ और पाकिस्तान के समक्ष जो अड़चनें झेलनी पड़ती हैं, उनसे हम एक सीमा तक बच जायेंगे। वास्तव में मुखर्जी और नेहरू की नीति का अन्तर सिद्धान्त व व्यवहार का भेद था, आदर्श व सम्प्रति का अन्तर था। डॉ. मुखर्जी ने इस बारे में शेख अब्दुल्ला से भी पत्र व्यवहार किया, जिसके जवाब में शेख ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि, "लेकिन मैं व मेरी सरकार उस विवाद का समाधान कैसे कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने पड़ा है?" लेकिन डॉ. मुखर्जी के सुझाव का महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि आगे जाकर ६ फरवरी, १९५४ को जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने राज्य के भारतीय संघ में विलय का अनुमोदन कर दिया।

जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद ३७० में जो विशेष व्यवस्था की गई, उसके सन्दर्भ में प्रजा परिषद् ने व्यापक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था कि "एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान" क्यों? डॉ. मुखर्जी ने धारा ३७० के अस्थायी प्रावधान को 'स्थायी' रूप देने की मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए पण्डित नेहरू को लिखा, "आपको पता है कि यह अस्थायी प्रावधान है और संविधान में इस धारा को शामिल किये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए गोपालस्वामी आयंगर ने यह आशा व्यक्त की थी कि शीघ्र ही अन्य राज्यों की तरह कश्मीर का भी पूर्ण रूप से भारत में विलय हो जायेगा। यदि जम्मू के लोग अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके राज्य का विलय अन्य राज्यों के समान ही हो तो उनका ऐसा सोचना अनुचित और असामान्य नहीं है। पूर्ण विलीनीकरण की उनकी मांग भारत की एकता और अखण्डता की भावना से प्रेरित है।" डॉ. मुखर्जी ने शेख को लिखे पत्र में उन विषयों को चिन्हित किया, जिनके सम्बन्ध में पूरे देश में समान संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने शेख से कहा, तुम यह दावा करते हो कि धारा ३७० ने तुम्हारे राज्य को अवशिष्ट विषयों में सम्प्रभुता प्रदान की है, जो अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं है। इससे अनावश्यक जटिलताएँ पैदा हुई हैं। भारतीय संविधान की कुछ बुनियादी व्यवस्थाएँ यदि सारे देश में समान रूप से लागू नहीं होंगी तो इससे जहाँ एक ओर राष्ट्र की एकता कमजोर होगी, वहीं अलगाववाद की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। डॉ. श्यामाप्रसाद ने शेख को संकेत करते हुए कहा, "मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें अपने राज्य पर भारत का संविधान लागू करने में हिचक क्यों हो रही है? इस सम्बन्ध में तुम्हारा एकमात्र उत्तर यह है कि यदि इस मामले में जल्दी की गई तो कश्मीर के मुस्लिम पाकिस्तान के पक्ष में झुक सकते हैं। अगर मुसलमानों के भारत में विश्वास न रखने और पाकिस्तान के पक्ष में झुक जाने का हौवा न रोका गया

तो इसके वही परिणाम होंगे जो जिन्ना की माँग के हुए थे। भारत का संविधान संकीर्ण भावनाओं पर आधारित नहीं है। अगर भारत के संविधान के अधीन चार करोड़ मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते है तो कश्मीर के तीस लाख मुसलमान जो अपने राज्य में बहुसंख्यक है, स्वयं को असुरक्षित क्यों महसूस करते है? इस तरह डॉ. मुखर्जी ने धारा ३७० के दुष्परिणामों को शुरू से ही समझ लिया था और इसकी समाप्ति की माँग रखी थी।[८]

शेख अब्दुल्ला की भूमिका के बारे में डॉ. मुखर्जी का कहना था कि वो रियायत मांगते जाये एवं हम पूरा करते रहे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या शेख अब्दुल्ला इस संविधान के बनने के समय हमारे साथ नहीं था। वह संविधान सभा का सदस्य था किन्तु आज वह विशेष रियायतें मांग रहा है। क्या उसने ८९७ राज्यों के सम्बन्ध में यह संविधान स्वीकार करने की बात नहीं मान ली? यदि यह संविधान सभी राज्यों के लिए अच्छा है तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं?"[९] डॉ. मुखर्जी इस बात पर बल देते थे कि शेख को रियायत देते समय यथार्थपूर्वक रूप से यह आकलन अवश्य किया जाये कि इससे भारत के हितों को हानि नहीं पहुँचे। उन्होंने शेख की मानसिकता को समझ लिया था कि वह कश्मीर को स्वतंत्र करने तथा भारतीय संसद की प्रभुता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। डॉ. मुखर्जी ने पूछा कि क्यों आज तक हमने शेख की नीति के विरूद्ध एक भी शब्द नहीं कहा? उन्होंने जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा में शेख के कहे शब्दों की ओर भी सदन का ध्यान दिलाया। शेख अब्दुल्ला ने राज्य की संविधान सभा में कहा था, "हम शत प्रतिशत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है। कोई भी देश हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकता। इस राज्य से बाहर की किसी भी संसद का, वह भारतीय हो अथवा कोई अन्य हमारे राज्य पर कोई भी अधिकार नहीं"[१०]। जम्मू–कश्मीर महाराजा को राज्य के संवैधानिक मुखिया से हटाने की शेख की माँग पर मुखर्जी का कहना था कि महाराजा को राज्य का संवैधानिक प्रमुख भारत के संविधान ने बनाया है, न कि शेख अब्दुल्ला ने। शेख महाराजा को इसलिए हटाना चाहता है, क्योंकि वह हिन्दू है। महाराजा को हटाने की शेख की माँग साम्प्रदायिकता पर आधारित है।

शेख अब्दुल्ला अपनी पार्टी नेशनल कान्फ्रेंस के झण्डे को राज्य का झण्डा बनाना चाहता था। इस पर मुखर्जी का मानना था कि झण्डा निष्ठा का प्रतीक होता है एवं निष्ठा अविभाजित होनी चाहिए। इसलिए राज्य के लिए अलग झण्डा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए खतरा है। जम्मू–कश्मीर मुख्यमंत्री के लिए 'प्रधानमंत्री पदनाम' की शेख की माँग का उल्लेख कर कहकर विरोध किया कि "भारत में दो प्रधानमंत्री किस तरह हो सकते है, जिनमें से एक दिल्ली में विराजे और दूसरा श्रीनगर में'"[११]। वे इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला पग–पग पर अपने लिए विशेष दर्जा क्यों चाहता है? विशेष नागरिकता के बारे में शेख की माँग का विरोध करते हुए डॉ. मुखर्जी ने इस बात पर बल दिया कि नागरिकों की एक ही श्रेणी होनी चाहिए। संविधान की अनदेखी कर इसमें किए जा रहे परिवर्तनों की उन्होंने कठोर शब्दों में निन्दा की। पाकिस्तान गये लोगों को वापस लौटाने तथा उन्हें राज्य का नागरिक बनाने की राज्य सरकार की मंशा का विरोध करते हुए उन्होंने पूछा "पाक अधिकृत कश्मीर से पाँच लाख हिन्दू और सिख आए हुए है एवं कश्मीर में शरणार्थियों की तरह रह रहे है। उनका क्या होगा? आप उनकी चिन्ता नहीं करते, जबकि आप पाकिस्तान से ऐसे मुसलमानों को बुलाना चाहते है जो पाकिस्तानी है। आप उन्हें बुलाकर कश्मीरी बना लेंगे, लेकिन इन अभागे कश्मीरियों के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे"[१२]। जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, धारा ३७० की व्यवस्था, राज्य के लिए अलग झण्डा और सदर–ए–रियासत पदनाम जैसी व्यवस्था के विरोध तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के भारत में पूर्ण विलीनीकरण व राज्य में पूरे संविधान को लागू करने की माँग को लेकर प्रजा परिषद् ने पूरे जम्मू क्षेत्र में अपना आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। प्रजा परिषद् के अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने अपने जन आन्दोलन का समर्थन करने का डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी से आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जून, १९५२ में उन्होंने

शेखजी ने प्रजा परिषद् आन्दोलन के समर्थन में जम्मू और कुछ अन्य बड़े शहरों में सत्याग्रह शुरू किया। डॉ. मुखर्जी ने भारत सरकार व प्रजा परिषद् में समझौता करवाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। इस पर डॉ. मुखर्जी ने बिना परमिट के ११ मार्च, १९५३ को जम्मू में प्रवेश किया। अपने ही देश के ही एक राज्य में प्रवेश के लिए परमिट लेना अपमान था, जिसका प्रजा परिषद् तथा जनसंघ विरोध कर रहे थे'। शेख अब्दुल्ला सरकार ने डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर श्रीनगर में नजरबन्द कर दिया, जहाँ २३ जून, १९५३ को अत्यन्त रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका देहान्त हो गया। वास्तव में यह एक प्रबल राष्ट्रभक्त का राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सर्वोच्च बलिदान था।

इस तरह देखा जाये तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण पण्डित नेहरू की तुलना में ज्यादा व्यावहारिक, प्रासंगिक एवं राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के अनुकूल था। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धारा ३७०, जम्मू–कश्मीर के प्रति विशेष व्यवहार, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आदि को लेकर आज से करीब ७० वर्ष पूर्व जो आकांक्षाएं व्यक्त की थीं, वे कालान्तर में सच साबित हुई है। डॉ. मुखर्जी ने अपने विचारों एवं व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से जो एक संदेश दिया है, आज आवश्यकता उस संदेश को साकार करने की है।

सन्दर्भ

१. भारतीय जनसंघ; पार्टी दस्तावेज, अध्यक्षीय भाषण।
२. वही।
३. वही।
४. संसदीय कार्यवाही, २५ मार्च, १९५३
५. वही।
६. नेहरू; मुखर्जी पत्र व्यवहार, १८ फरवरी, १९५३ का पत्र।
७. वही; शेख अब्दुल्ला का डॉ. मुखर्जी को पत्र, ४ फरवरी, १९५३
८. वही; ९ जनवरी, १९५३
९. संसदीय वाद–विवाद, लोकसभा, ७ अगस्त १९५२
१०. वही।

39

हिंदीकहानियों में व्यक्त दलित स्त्री

कमला तलाटी
हिंदी विभाग
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी
गच्चीबौली, हैदराबाद

हिंदी साहित्य एक महासागर समान है, जिसमें सब मिलकर इसको और गौरवान्वित करते हैं।साहित्य चूँकि समाज का दर्पण कहलाता है। यह समाज की छवि या यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय जो की आधुनिक समय कहलाता है, परंतु अभी भी इस समाज में ऐसे समाज है, जो कि हाशिए में है। उसको समाज के केंद्र में लाने का काम ही साहित्य कर रहा है। ऐसे साहित्य को हिंदी में, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि।

मानव समाज परिवर्तनशील है तथा उसके साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि समाज और साहित्य एक दूसरे के परिपूरक होते है। इसलिए समाज के बदलाव साहित्य पर तथा साहित्य में बदलाव समाज पर प्रभाव डालता ही है। भारतीय समाज व्यवस्था के कई हिस्सा है, जिनमें से दलित वर्ग एक है, जिसे समाज से हमेशा दूर ही रखा गया है। उनके साथ हमेशा छुआछूत का भेद किया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत नारी समाज भी सम्मिलित होती है। लेकिनउनके साथ यह छुआछूत की भावना तब मिट जाती है, जब उनका दैहिक शोषण किया जाता है। इसके अलावा दलित नारी के ऊपर हो रहे अन्य प्रकार के अत्याचारों को भी देखा जा सकता है। परंतु आज कहीं न कहीं इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे केवल एक ही कारण है अंबेडकरवादी विचारधारा, जो की पीड़ित समाज के लिए एक अंधकार में ज्योति के प्रकाश सा फैलाकर उसे सही मार्ग दिखाता है।

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे अधिक चर्चित

27) सीता समाधि महाकाव्य में भारतीय संस्कृति का स्वरूप
डॉ. रामभजन कुशवाहा, बबेरू (बाँदा) || 126

28) राजेश जोशी की कविता : समकालीन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में
डॉ. आरिफ शौकत महात, कोल्हापुर || 129

29) औरंगजेब काल की धार्मिक स्थिति – एक संक्षिप्त विवेचना
डॉ. नीरज कुमार गौड़, फिरोजपुर || 132

30) झारखण्ड की जनजातियों के बीच प्रचलित कानून
ममता झा, राँची, झारखंड || 137

31) रंगो कला लेखन
डॉ. मधु वर्मा, श्रीगंगानगर || 142

32) गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पर प्रभावी घटक
प्रो. अमरजीत सिंह, होशीआरपुर ,पंजाब || 145

33) पंजाबी लोक गायकी – टप्पा
प्रो. श्याम सुन्दर वर्मा || 148

34) डॉ. लक्ष्मी नारायण भावसार का समकालीन वातावरण एवं कला चेतना
सविता प्रसाद, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) || 151

35) 'मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर से होने वाली कर–अपवंचना की ...
डॉ. कमलेश पटोदी, इंदौर || 153

36) ब्रिटिशकालीन भारत के सामाजिक विकास में रेल्वे की भूमिका
अखिल कुमार गुप्ता || 159

37) महिलाओं की सेहत और व्यायाम
डॉ. रेनू चौहान, धामपुर, बिजनौर || 165

38) श्यामाप्रसाद मुखर्जी और काश्मीर
डॉ. बाल्दान बारहठ || 168

39) हिंदीकहानियों में व्यक्त दलित स्त्री
वनजा तालदी || 171

ISSN 2394-5303

PRINTING AREA®

Issue-92, Vol-02, August 2022

Peer Reviewed International Multilingual Research Journal

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

14) कविता वाङ्मय प्रकार : आस्वाद आणि आकलन
डॉ. सचिन पाटील, एरंडोल ||65

15) तौलनिक साहित्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या रवीन्द्रनाथ ठाकूरच्या 'विश्व-साहित्य' ...
डॉ. संदीप मधुकर सपकाळे, वर्धा ||71

16) ज्ञानेश्वरीतून येणारा भक्तीयोग
सुभांगी भाऊसाहेब शेलार & प्रा. डॉ. शशिकांत पाटील, जि. जालना ||73

17) वर्तमान विसंगतियों पर प्रहार करने वाले 'पन्द्रह व्यंग्य नाटक'
डॉ. भगवान एन. जाधव, नांदेड, महाराष्ट्र ||77

18) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण (१८वीं-१९वीं शताब्दी)
डॉ. अंजली ||82

19) हिंदी साहित्य में नारी विमर्श
प्रा.डॉ. उत्तम जाधव, जि. औरंगाबाद ||85

20) डॉ.सुशीला टाकभौरे के उपन्यासों में चित्रित दलित नारी की समस्याएँ
टी.विजय लक्ष्मी, विजय नगरम्, आन्ध्र प्रदेश ||88

21) सितार में ठुमरी वादन प्रक्रिया
लक्की, चण्डीगढ़ ||90

22) कोरोना महामारी का बीकानेर शहर के एमएसएमई पर प्रभाव : भुजिया उद्योगों के ...
डॉ. हेमेंद्र अरोड़ा, बीकानेर ||93

23) कारगिल विजय के सामरिक परिणाम
डॉ. बालू दान बारहठ, उदयपुर ||98

24) कुमाऊं में पंत राजवंश का प्रभाव
भारत भूषण, नैनीताल (उत्तराखण्ड) ||103

25) एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election)
डॉ० (श्रीमती) दर्शना, देवरिया, उत्तर प्रदेश ||105

26) निर्मल वर्मा के कथा-साहित्य में व्यक्ति, परिवेश और समाज
कु. ज्योति, दिल्ली ||109

http://www.printingarea.blogspot.com
www.vidyawarta.com/03

संदर्भ

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। कृषि सांख्यिकी। http://agriculture.rajasthan.gov.in/content/agriculture/en/Agriculture-Department-dep/agriculture-statistics.html.

अहमद, अजाज (२०२०)। कोविड–१९ : बिग लॉस टू बीकानेर इंडस्ट्री ड्यूरिंग लॉकडाउन। रिसर्च गेट। https://www.researchgate.net/publication/342866097_Covid_19-Big_Loss_To_Bikaner_Industry_During_Lockdown.

चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। राजस्थान सरकार। जिलेवार स्थिति – कोविड–१९ । http://www.rajswasthya.nic.in/.

वस्तु का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) नियम (२००२)। https://www.origingi.com/gioriginworldwidegicompilationuk/download/386/1077724.html?method=view.

बौद्धिक संपदा, भारत। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। (एन.डी.) बीकानेरी भुजिया – आवेदन विवरण। http://ipindiaservices.gov.in/GIRPublic/Application/Details/142.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, राजस्थान सरकार (२०१८)। राजस्थान में उत्पादों का भौगोलिक संघ। https://dipp.gov.in/sites/default/files/ru-2442.pdf.

गृह मंत्रालय (समूह–७), राजस्थान सरकार (११ मई, २०२१)। आदेश दिनांक ०९.०५.२०२१ में जारी दिशा–निर्देशों के निष्पादन हेतु विभागीय आदेश। https://home.rajasthan.gov.in/content/dam/homeportal/homedepartment/pdf/CercularNotificationOrder/Gr7/Labour_Pass.pdf.

⌘⌘⌘

23

कारगिल विजय के सामरिक परिणाम

डॉ. बालू दान बारहठ
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,
सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर

शोध सारांश–

पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गये। कश्मीर को प्राप्त नहीं कर पाने की खीझ से वह कभी मुक्त नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप उसने १९४७ व १९७१ की जंग को भी आमंत्रित किया, जिसमें मिली हार ने उसे ओर आक्रोशित किया। फलतः पाकिस्तान ने १९९९ में कारगिल आक्रमण का दुस्साहस किया। पाकिस्तान का यह हमला कूटनीतिक, रणनीतिक व नैतिक दृष्टि से न केवल गलत था अपितु उसके लिए आत्मघाती भी था। वह सैन्य दृष्टि से तो पराजित हुआ ही राजनय के क्षेत्र में भी पाकिस्तान को पूरे विश्व में भारी किरकरी हुई थी। प्रस्तुत शोध पत्र में कारगिल युद्ध के कारणों, परिणामों तथा इससे हमारे सबक पर केन्द्रित है।

जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में अंकित है– सांस्कृतिक रूप से जम्मू कश्मीर सदियों से भारत का अंग रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व यह लम्बे समय तक अंग्रेजो का गुलाम रहा। १५ अगस्त १९४७ को हम स्वतंत्र हुए लेकिन अंग्रेजो ने आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तर पर भारत का शोषण किया। इस दोहन और शोषण का दौर लगभग डेढ़ सौ साल चला और अंततः वर्ष १९४७ में अंग्रेज भारत से जा पर जाते–जाते उन्होंने ब्रिटिश भारत का विभाजन किया जिससे अस्तित्व में आया नया डोमिनियन पाकिस्तान। विभाजन ब्रिटिश भारत का हुआ था लेकिन देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे

था या पाकिस्तान में से किसी भी एक देश में आ सकती थी। देसी रियासतें किस डोमिनियन का हिस्सा होंगी यह अधिकार केवल और केवल उस रियासत के राजा या नवाब को दिया गया था। अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने २६ अक्तूबर १९४७ को जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत में कर दिया था, जिसे माउन्टबेटन ने २७ अक्तूबर १९४७ को स्वीकार कर लिया था।

पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद इस मुगालते में था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का यह सपना केवल सपना ही रह गया। जब पाकिस्तान को लगा कि महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत में करने तो उसने २२ अक्तूबर १९४७ को जम्मू कश्मीर पर पहला आक्रमण किया। जम्मू कश्मीर के भारत में अधिमिलन के पश्चात जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुँची तब तक राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। भारतीय सेना ने राज्य के बहुत से हिस्सों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। तब ब्रिटिश षड्यंत्र के चलते ३१ दिसंबर १९४८ को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हमले के विरोध में युनाइटेड नेशंस गए। नेहरु वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के भ्रमजाल में फंस गए। जिसके परिणामस्वरूप आज जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया जिसे हम पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, मुज्जफराबाद, गिलगित और बल्तिस्तान आदि क्षेत्र पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में आते है ।

पाकिस्तानी सेना की गलतफहमियाँ और उसके परिणाम

जावेद अब्बास पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिसर था। जब यह आफिसर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर था तो उसे रिसर्च का एक काम सौंपा गया था जिसे उसने तीन साल में पूरा किया था। रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम था इंडिया — ए स्टडी इन प्रोफाईल। इस स्टडी के अनुसार पाकिस्तानी सेना का मानना है कि भारत की अपनी समस्याए है और उन समस्याओं का लाभ उठा कर भारत की विशाल और शक्तिशाली सेना को कंट्रोल में किया जा सकता है। यह स्टडी १९९० में प्रकाशित हुई थी लेकिन पाकिस्तानी सेना की मनःस्थिति पहले से ही कुछ अलग नहीं थी ।

१९४७ के बाद से पाकिस्तान और विशेषकर पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर को अपना अधूरा अजेंडा मानती रही है और भारत के जम्मू कश्मीर में कोई न कोई समस्या खड़ी करने की कोशिश करती रहती है। अयूब खान पाकिस्तानी सेना के पहले जनरल थे जिन्होंने इस्कंदर मिर्जा को सत्ता से बाहर कर पाकिस्तान पर कब्जा किया था। अयूब खान भारत के लोगों को बीमारी ग्रस्त मानता था। उसकी सोच थी कि भारत इतना कमजोर है, भारतीयों का मनोबल इतना कमजोर है कि वो मजबूत प्रहार नहीं सह सकते और बिखर जाते है। इसी गलतफहमी का शिकार होकर अयूब खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को पुरा विश्वास दिलाया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आक्रमण नहीं करेगा। अयूब खान और उसकी पाकिस्तानी सेना इतनी गफलत में थी कि ३ सितम्बर १९६५ में जब भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुँच चुकी थी उस समय पाकिस्तानी सेना के जवान सुबह के समय रूटीन एक्सरसाइज कर रहे थे। भारत की जवाबी कार्यवाही से अयूब खान इतने घबरा गए थे कि अपने कैबिनेट की बैठक में अयूब खान ने कहा था– ५ मिलियन कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान अपने १०० मिलियन लोगों को कभी खतरे में नहीं डालेगा। इस हार के बाद अयूब खान कभी अपनी इमेज नहीं सुधार पाया।

जिस गफलत का शिकार अयूब खान था उसी गलतफहमी का शिकार याहया खान भी था। १९७१ में याहया खान को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वो आने वाले १० साल तक पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट बने रहेंगे। यह बात सुनकर याहया खान बहुत खुश था लेकिन इस बात से अनजान था कि दस वर्षों तो छोड़िये वो आने वाले दस दिनों में अपने पद से हटा दिया जाएगा। स्वप्रशंसा में याहया खान और

उनकी सेना इस कदर तक डूबी हुई थी कि जब उन से पूछा गया कि वो भारत का मुकाबला कैसे करेंगे तो उनका जवाब था– मुस्लिम लड़ाकों की ऐतिहासिक शुजाअत के बल पर।

यह जवाब उस तत्कालीन राष्ट्रपति का था जिसे जब पता चला कि भारतीय फौजों ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है तो उसका जवाब था–

मैं ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ।

सत्ता के नशे में चूर इस पाकिस्तानी सेना का स्तर देखिये कि पाकिस्तान के नेवल चीफ को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तानी रेडियो से पता चला जब वह सुबह अपने काम के लिए अपनी कार से निकले थे। लेफ्टिनेंट जनरल ऐ. के नियाजी को एयर स्ट्राइक्स के बारे में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस सुनते हुए पता चला था। जैसे अयूब खान ने कश्मीरियों को कोसा था ठीक वैसे याहया खान ने कहा था कि–

वह बंगालियों के लिए वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकता।

कारगिल युद्ध – पाकिस्तानि सेना के दिमाग की उपज

१९६५ और १९७१ मे पाकिस्तानी घमंड चूर चूर हुआ लेकिन पाकिस्तानी सेना की कुपित मानसिकता मे परिवर्तन नहीं आया था। १९९९ मे कारगिल से पहले भी दो बार भारत पर कारगिल से हमला करने का प्रपोजल बनाया गया था और पाकिस्तान मे राजनीतिक आकाओ को पूरा प्लान भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन दोनों बार यह प्लान रिजेक्ट हो गया था। एक बार जिया उल हक के समय और दूसरी बार बेनज़ीर भुट्टो के समय। भुट्टो के सामने जब यह प्लान रखा गया तब पाकिस्तानी सेना का डीजीएमो था परवेज मुशर्रफ, यह वो ही व्यक्ति था जो कारगिल के समय पाकिस्तानी सेना का प्रमुख था।

कारगिल युद्ध के जिम्मेवार चार लोग थे–

दो बार कारगिल का प्लान रोका जा चुका था लेकिन १९९९ में जब कारगिल पर दोबारा हमले का प्लान बनाया गया तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख था। मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जनरल मोहम्मद अजीज खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद खान और मेजर जनरल जावेद हसन इन चारों के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद अब्बास भी कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार है जिसकी स्टडी इंडिया ... स्टडी इन प्रोफाइल से परवेज मुशर्रफ बहुत प्रभावित था, उसे लगता था कि वो भारत पर हमला करेगा तो भारत बिखर जाएगा। पाकिस्तानी सेना इस बात से ... थी कि वो भी अब भारत की तरह परमाणु शक्ति है और इस दबाव मे भारत जवाबी हमला नहीं करेगा लेकिन १९६५ और १९७१ की तरह पाकिस्तान का आंकलन १९९९ मे भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ।

पाकिस्तानी हमले का उद्देश्य

पाकिस्तानी हमले का मुख्य उद्देश्य था नेशनल हाईवे एक की सप्लाई बंद करवाना, यह हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। फिर पाकिस्तानियों को लगता था कि सप्लाई बंद होने से भारतीय सेना वहां उनके ऊपर किसी भी तरह का जवाबी हमला नहीं कर पाएगी साथ ही पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत में इतनी क्षमता नही है कि वो पाकिस्तानी सेना को उनकी जगह से हटा पाए।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि कारगिल हमले का वृहद् पक्ष, एक दूसरा पहलू भी था जोकि राज्य के सबसे छोटे हिस्से कश्मीर से जुड़ा हुआ था जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया क्योंकि कारगिल हमले के बाद भारतीय सेना इतना मुहतोड़ जवाब देगी इसकी कल्पना पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को नहीं थी। इस वृहद पक्ष के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान प्रमुख मुल्ला महमूद रब्बानी से कश्मीर में जेहाद लड़ने के लिए पाकिस्तान ने २० से ३० हजार लड़ाको की मांग की थी। रब्बानी ने ... हजार लड़ाको का वायदा कर दिया था और पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी इस प्रस्ताव से बेहद खुश थे।

कारगिल को लेकर परवेज मुशर्रफ बेचैन थे ... १९६५ के युद्ध से पहले कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना थी, यह सुरक्षा और सामरिक ...

...जगह थी। लेकिन १९६५ और १९७१ के ... भारत ने यह महत्वपूर्ण चोटियाँ अपने कब्जे में ... थी। पुनरुः इन चोटियों को वापिस लेना ... था।

दूसरा, कश्मीर को ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मसला ... लेकर परमाणु युद्ध की आशंका है और ... तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता ...

तीसरा, नियंत्रण रेखा की पवित्रता को भंग कर ... के अनियंत्रित क्षेत्रों को कब्जे में लेना।

... की जवाबी कार्यवाही

... पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्यवाही ... अंदाजा बिलकुल भी नहीं था। परवेज मुशर्रफ ने ... हार स्वीकार करते हुए यह कहा था कि भारत ... केवल सैन्य बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी से भी ... को करारा जवाब दिया।

कारगिल हमले के बाद थोड़े समय के लिए ... राजनीतिक नेतृत्व और सेना दोनों थोड़ा ... में रहे लेकिन फिर डट कर पाकिस्तानी ... का जवाब दिया। एक–एक कर कारगिल की ... को खाली कराया जाने लगा। १३ जून, १९९९ ... चोटी को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान ... कब्जे से छुड़ा लिया, जिससे आगे के युद्ध में उन्हें ... मदद मिली। जल्दी ही २० जून, १९९९ को ... ५१४० भी उनके कब्जे में आने से तोलोलिंग ... का विजय अभियान पूरा हो गया। चार जुलाई ... और शानदार विजय दर्ज की गई, जब टाइगर ... को घुसपैठियों से मुक्त कर दिया गया। पाकिस्तान ... घुसपैठियों को खदेड़ना जारी रखते हुए भारतीय सैनिक ... रहे। बटालिक की प्रमुख चोटियों से पाकिस्तानी ... को भगा कर उन्हें दोबारा भारत के कब्जे में ले ... गया। भारत की १४ रेजिमेंट्स ने शक्तिशाली ... से कारगिल में घुसपैठ कर बैठे पाकिस्तानी ... को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। भारत ने ... के भीतर वायुसेना के विमानों से भी हमले ... कर दिए। पाकिस्तान अपनी वायुसेना का प्रयोग ... कर पाया क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ... बोला था कि कारगिल में कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी आजादी के लिए लड़ रहे है। यदि पाकिस्तान अपनी वायुसेना का उपयोग करता तो पूरी दुनिया के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिक खोये। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पूरी तरह से खत्म हो गयी थी। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के विदेश सचिव रहे शमशाद अहमद खान ने कारगिल युद्ध के बारे में कहा कि दुनिया के किसी भी विदेश विभाग के लिए ऐसा समय सबसे खराब होता है। हमने पूरी क्षमता से अपना काम किया किन्तु पूरी दुनिया ने हमें इस युद्ध का दोषी घोषित कर दिया था। पूरी दुनिया का दबाव हम पर था उन्होंने हमें युद्ध के मैदान से पीछे हटने के लिए कहा और हमारे राजनैतिक नेतृत्व ने पीछे हटने का सही फैसला लिया। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) अली कुली खान ने कारगिल युद्ध में हुई हार को पाकिस्तानी इतिहास की सबसे बुरी हार घोषित कर दिया था जिसमें अनगिनत मासूम लोग मारे गए थे। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना के भी कई सच उजागर हुए जिसमें एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी नशे की लत में डूबे हुए है।

कारगिल युद्ध – हर मोर्चे पर पाकिस्तान की किरकिरी

कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। नवाज शरीफ का स्टैंड है कि उन्हें कारगिल हमले के बारे में कुछ नहीं पता था, दूसरी तरफ मुशर्रफ का कहना है की नवाज शरीफ को सब पता था। अब नवाज शरीफ को पता था या नहीं दोनों ही सूरत में पाकिस्तान की किरकिरी होती है। यदि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ को इस हमले का नहीं पता था तो यह बात और पुख्ता हो जाती है कि पाकिस्तान के पास सेना नहीं है बल्कि सेना के पास एक पाकिस्तान है। तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भी कहना है कि देश का विदेश मंत्री होने के बाद भी उन्हें १७ मई की सुबह कारगिल हमले के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और उससे कभी

भी इस स्थिति के डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या परिणाम होंगे इसके बारे में कभी भी नहीं पूछा गया। पाकिस्तानी सेना में इस कदर अफरा तफरी थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन एडमिरल फसीहुद्दीन बुखारी ने मुशर्रफ से सीधे-सीधे पूछ लिया था कि मुझे इस आपरेशन की कोई जानकारी नहीं है परन्तु मै पूछता हूँ कि इतने बड़े मोबिलाइजेशन का क्या उद्देश्य है? हम एक उजाड़ सी जगह के लिए युद्ध करना चाहते है जिसे हमें वैसे भी सर्दियों के समय खाली करना पड़ेगा। मुशर्रफ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। पूरी दुनिया के साथ–साथ पाकिस्तान के साथी चीन ने भी पाकिस्तान को कारगिल की चोटियों से अपनी सेना वापिस बुलाने के लिए कहा था। शुरुआत मे पाकिस्तान लगातार कह रहा था कारगिल के पहाड़ो मे मुजाहिदीन लड़ रहे है लेकिन वैश्विक दबाव में जब पाकिस्तान को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े तो वह पूरे विश्व के सामने बेनकाब हुआ कि पाकिस्तान मुजाहिदीनो को कंट्रोल कर सकता है। इस से पूरे विश्व मे एक बात स्पष्ट होने लगी कि पाकिस्तान कश्मीर में मुजाहिदीनो के नाम पर आतंक फैला रहा है। परवेज मुशर्रफ कारगिल को अपनी सैनिक विजय मानता है किन्तु सत्य यह है कि पाकिस्तान ने अपने सैनिको को कारगिल की ऊँचाइयों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। कई जवानो की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट्स से पता चला उनके पेट में घास थी यानी कि जवानों के पास खाने को भी कुछ नहीं था।

परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब मे लिखा कि मिलिट्री ने जो अर्जित किया, डिप्लोमेसी में हमने वो गंवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ नवाज ने एक इंटरव्यू मे बोला कि जब तक मै अमेरिका के पास मदद मांगने गया और अमेरिका मदद करने को तैयार हुआ, तब तक भारतीय फौजें कारगिल से लगभग सब जगह से पाकिस्तानियों को निकाल चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी ऐसे मे मैंने पाकिस्तानी सेना के सम्मान को बचाया। मुशर्रफ का कहना है कि उसने नवाज से नहीं कहा था कि वो अमेरिका से बातचीत करें। लेकिन दूसरी ओर नवाज ने कहा कि जब वह अमेरिका जा रहे थे तो मुशर्रफ उनको एअरपोर्ट छोड़ने आया और उसने अमेरिका से बात करने को कहा ताकि पाकिस्तान सेना के जवान कारगिल की चोटियों से सुरक्षित निकल सकें, जहाँ अब भारतीय फौजें आगे बढ़ रही थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान फौज चार (चार सेना के अधिकारी जिन्होंने कारगिल प्लान बनाया था) की फैंटसी का शिकार रहा और इस तरह एक असफल देश का शातिर प्रयास भी असफल रहा।

पूरे विश्व के लिए भी और विशेषत पाकिस्तान के लिए कारगिल एक ऐसा रणनीतिक व सैन्य संदेश है जिसे याद रखना एक तरह से उसके अस्तित्व की आवश्यक शर्त है। इस बात की संभावना कम है कि अब पाकिस्तान का कोई जनरल या शासक कारगिल की पुनरावर्ति करेगा। इससे यह संदेश भी मिलता है कि जो नैतिक रूप से गलत होता है वह सैन्य, सामरिक व रणनीतिक रूप से भी गलत ही होता है।

सन्दर्भ सूची–

1. Rawat Rachna Bisht, Kargil untold stories from the war, Panguin Pub. New Delhi-2019.
2. Malik V.P. Kargi from Surprise to victory, Harper collins, 2020.
3. Hussain Ashfaq, witness to blunder bookwise pvt. ltd., 2008.
4. Singh Amarinder, A ridge too far, war in the kargil Heights, 1999 variety book depot, 2020.
5. Musharaf Perveg, in the line of fire free press, Newyork, 2006.
6. Rawat Rachna Bisht, Kargil untold stories from the war, Panguin Pub. New Delhi-2021
7. Bavej harinder, Kargil untold stories from the war, Panguin Pub. New Delhi-2021

⌘⌘⌘